


फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4.6.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण की मांग न्यायालय में प्रथम प्रथम सत्र पर तीन-तीन बार भावाजे पत्रवाची अर्ह, जाकपुर भावाजे पत्रवाते के उपरान्त भी वादीगण के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत सार्व-1 नियम-3 प्रा० 310 के तहत मध्य हाजरी व सयम धरकी में खारिज की जाती है। पत्रावली जिसका नुमांदा होकर जाबंर से नम होकर दाखिल करत है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जाकपुर </p>